



UPKJ010006462026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष
संख्या-1 जनपद-कन्नौज

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-317/2026

सादाब खान पुत्र सलीम खान,

निवासी ग्राम नगला खेम रैगाई थाना कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र० राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. आवेदक/अभियुक्त सादाब खान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-16/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 310(2) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उनके विद्वान अधिवक्ता श्री जमील खां द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जेल में निरुद्ध है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इसप्रकार है कि वादी मुकदमा शमीम द्वारा इस आशय की तहरीर सम्बन्धित थाने दी गयी कि दिनांक 28.01.2026 को मैं अपने ऑटो संख्या- U.P.76T-0506 से कारचोप कढ़ायी के तैयार लंहगा चुन्नी कपड़े के 15 पैकेट में भरकर ऑटो में रखकर भोजपुर कमालगंज से तालग्राम आ रहा था। समय करीब 08.15 बजे रात्रि बिरोली ग्राम के मोड़ से पहले पहुंचा तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर आकर दो व्यक्तियों ने मेरा ऑटो रूकवा लिया और मुझे ऑटो से नीचे उतार दिया। मेरा ऑटो सहित लेकर वापस तेहरा जाकेट की तरफ चले गये। उसी ऑटो में मेरा मोबाइल भी रखा था जिसका नम्बर 7651899029 है। मेरा मोबाइल रेडमी कम्पनी नीले रंग का है। थोड़ी देर बाद मैंने एक व्यक्ति का मोबाइल लेकर अपने घर सूचना दी तब मेरे मोहल्ले के छोटू आदि लोग मौके पर पहुंचे। हम लोगों ने अपने ऑटो को काफी दूर तक तलाश किया जब कहीं नहीं मिला तब सूचना देने आया हूं। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाये।
3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन

किया है कि उसे उक्त प्रकरण में रंजिशन झूठा फँसाया गया है। उपरोक्त माले की घटना दिनांक 28.01.2026 समय करीब 20.15 बजे दिखायी गयी जिसकी रिपोर्ट दिनांक 29.01.2026 समय 01.15 पर अज्ञात में धारा 309 (2) बी.एन.एस. में वादी द्वारा दर्ज करायी जाती है। घटनाक्रम कोई भी वादी मुकदमा के गवाह नहीं दर्शाया गया है। फर्द बरामदगी झूठी दिखायी गयी है। जनता का कोई गवाह नहीं बनाया गया है। जिला कारागार में निरुद्ध है। वह विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक, कन्नौज द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक, कन्नौज के तर्कों को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त दिनांक 28.01.2026 को रात्रि लगभग 08:15 बजे उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी शमीम के ऑटो को बिरोली ग्राम के मोड़ के पास जबरन रुकवाया, वादी को ऑटो से उतार दिया तथा ऑटो में रखे 15 पैकेट कपड़े और मोबाइल फोन सहित ऑटो को लेकर फरार हो गया। अभियुक्त पर लूट/छिनैती की घटना को अंजाम देने तथा वादी की संपत्ति का अवैध रूप से अपहरण करने के साथ-साथ आपराधिक साजिश करने भी का आरोप है। **अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का है। वर्तमान में प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।** यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो उसके फरार होने की प्रबल संभावना है। साथ ही अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा होने के पश्चात साक्ष्य से छेड़छाड़ करने अथवा गवाहों को भयभीत एवं धमकाने की प्रबल सम्भावना है जिससे विवेचना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है। **पुलिस द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी पर अभियुक्त का हस्ताक्षर अंकित है। अभियुक्त के पास से उक्त लूट किये गये सामान बरामद हुये है।** उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में इस स्तर पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्त सादाब खान की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट/मुकदमा अपराध संख्या-16/2026 अन्तर्गत धारा-310(2) व धारा-61(2) भारतीय न्याय संहिता थाना तालग्राम जिला कन्नौज के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-02.04.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कक्ष संख्या-1, कन्नौज।
J.O.CODE-UP6489